छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 1777/वित्त/ब–4/2017 नया रायपुर, दिनांक 25/02/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त कोषालय अधिकारी
छत्तीसगढ़।

विषयः– कोषालयों/उपकोषालयों में वित्तीय वर्ष 2016–2017 के बजट से संबंधित देयक स्वीकार करने के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 के देयकों को पारित करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है–

(1) वर्ष 2016–2017 से संबंधित समस्त देयक कोषालय/उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21 मार्च, 2017 निर्धारित की जाती है ।

(2) अंतिम तिथि के पश्चात वित्त विभाग की अनुमति से दिनांक 28.3.2017 तक ही देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) कोषालय/उपकोषालय में जमा किए जा सकेंगे।

(3) 21 मार्च 2017 तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा।

(4) वित्त विभाग द्वारा 21 मार्च, 2017 के पश्चात यदि कोई सहमति/स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(5) 21 मार्च, 2017 के पश्चात भारत सरकार से प्राप्त राशि से संबंधित देयकों एवं माननीय विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।

(6) समस्त कोषालय अधिकारी उक्त तिथि तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण दिनांक 31 मार्च, 2017 तक किया जाना सुनिश्चित करें।

(7) समस्त कोषालय अधिकारी दिनांक 21 मार्च, 2017 को प्राप्त अंतिम देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) का प्रकार, बीटीआर क्रमांक तथा देयक राशि वित्त विभाग को फैक्स क्रमांक 0771–2221204 पर उक्त दिवस के कार्यालयीन समय के तुरंत बाद अवगत करायेगें।

(8) दिनांक 22 मार्च, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा जारी किए गए धनादेशों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को संध्या 5.30 बजे तक अनिवार्यतः वित्त विभाग को फैक्स द्वारा उपलब्ध कराई जाए।

(9) राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन गठित प्रकोष्ठ/प्राधिकरण, से प्राप्त देयकों पर उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।

(कमल प्रीत सिंह)
विशेष सचिव

पृ.कमांक 1778/वित्त/ब–4/2017 नया रायपुर, दिनांक 25/02/2017

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन
2. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ। आपके अधीनस्थ कोषालयों/उपकोषालयों में उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो, इस हेतु कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

(कमल प्रीत सिंह)
विशेष सचिव

प्रपत्र

कोषालय का नाम ....

दिनांक

विभागीय चेक	देयकों / प्रकरणों की संख्या	दिवस को जारी चेकों की संख्या	दिवस को जारी चेकों की राशि का योग	पुर्नवैधीकरण किए गए चेक की राशि
कोषालय चेक				
लोक निर्माण विभाग				
जल संसाधन विभाग				
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग				
वन विभाग				
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (पंचायत विभाग)				
संबंद्व उपकोषालयों की समेकित जानकारी				

कोषालय अधिकारी